

## प्रोफार्मा-III

### उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा प्रपत्र (समुदाय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)

मैं .....सुपुत्र / सुपुत्री श्री .....

निवासी गांव/कस्बा/शहर ..... जिला .....

राज्य ..... एतद द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं  
..... समुदाय से संबंधित हूँ जिसे भारत सरकार द्वारा  
दिनांक 08.09.1993 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन  
सं. 36102/22/93-स्था.(एस.सी.टी.) में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के  
प्रयोजन से पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि  
मैंने का. एवं प्र. विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन तथा दिनांक  
13.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण) में उल्लिखित  
निर्देशों को पढ़ तथा समझ लिया है तथा मेरे पास घोषणा करने का कारण है कि पूर्ववर्ती  
तीन वर्षों के आय के आधार पर मैं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर) श्रेणी के अंतर्गत नहीं  
आता हूँ।

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पता .....